कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म0प्र0

आदेश

क्रमांक– 462 / दो–11–15 / 09 शाजापुर,दिनांक–09 .08.2024

01. स्थापना पर गठित पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन क्रमांक 34 दिनांक 08.04.2024 में की गई अनुशंसा के आलोक में स्थापना पर पदस्थ श्री बृजकिशोर गौड़, सहायक ग्रेड–3 का अभ्यावेदन स्वीकृत किया जाकर उन्हें सहायक ग्रेड–3 के पद से सहायक ग्रेड–2 (वेतनमान 5200–20200+2400 ग्रेड–पे) (पुनरीक्षित वेतनमान 25300–80500(सातवा वेतनमान)) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर पूर्णतः अस्थाई एव स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है ।

02. श्री बृजकिशोर गौड की वरियता सहायक ग्रेड–2 की पदक्रम सूची में श्री मोहम्मद जमील खान सहायक ग्रेड–2 के नीचे एवं श्री दयाशंकर माली, सहायक ग्रेड–2 के उपर रखी जाती है ।

03. इस स्थापना पर सहायक ग्रेड–2 के पद रिक्त न होने के कारण पदोन्नति आदेश क्रमांक 113 / दो–11–15 / 09 दिनांक 13.02.2024 के द्वारा आदेश में सबसे नीचले क्रम पर पदोन्नत श्री आशीष शर्मा सहायक ग्रेड–3 की पदोन्नति सहायक ग्रेड–2 के पद पर की गई को निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रखा जाता है। श्री आशीष शर्मा की उक्त पदावनति किसी प्रकार के दण्डात्मक अथवा किसी अक्षमता के कारण न की जाकर मात्र पद रिक्त न होने के कारण की जाती है। इस कारण वे भविष्य में नियमानुसार पदोन्नति के पात्र होगे तथा सहायक ग्रेड–3 की पदक्रम सूची में अपने पूर्व क्रम पर ही रहेंगे । साथ ही पदोन्नति के फलस्वरूप किया गया वेतन निर्धारण आदेश क्रमांक 410 दिनांक 20.07.2024 श्री आशीष शर्मा के संबध में निरस्त किया जाता है, शेष आदेश यथावत रहेगा तथा श्री आशीष शर्मा पर सहायक ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप अधिरोपित परीविक्षा अवधि भी तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

04. श्री बृजकिशोर गौड, सहायक ग्रेड–2 द्वितीय उचचतर समयमान वेतनमान (28700–91300) स्वीकृति के फलस्वरूप पूर्व से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे है इस कारण उन्हें किसी प्रकार का आर्थिक लाभ देय नहीं है । इसी प्रकार श्री आशीष शर्मा प्रथम उच्चतर समयमान वेतनमान (25300–80500) स्वीकृति के फलस्वरूप पूर्व से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे है इस कारण उनकी पदावनति से उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक हानि नही होगी।

05. उक्त दोनों कर्मचारियो का पृथक से वेतन निर्धारण किये जाने की आवश्यकता नही है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर म0प्र0

क्रमांक–2895 / दो–11–15 / 09 शाजापुर,दिनांक 09 .08.2024

प्रतिलिपिः–

01. लेखापाल / वेतन लिपिक, जिला न्यायालय, शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
02. जिला कोषालय अधिकारी, शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. श्री.. की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, शाजापुर की ओर जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित ।

sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाजापुर म0प्र0